फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा निवासी देवगढ़ मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

— **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 80/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 08.09..2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :- सूकाअ/244916113090972/2025/77 दिनांक 01/09/2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी श्री गोपाल कंसारा निवासी वार्ड नं. 34 पो0 देवगढ़ मदारिया तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के प्राप्त आवेदन पर आवेदक इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ/244916113090972/2025/70 दिनांक 18.08.2025 द्वारा सूचना उपलब्ध करा दी गई है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नगरपालिका देवगढ से संबंधित होकर चाही गई सूचना अस्पष्ट होकर अपूर्ण हैं। अतः सूचना तक पहुंच बनाया जाना संभव नहीं है। आवेदक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज का अवलोकन कर सकता हैं।

अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है तथा चाही गई वांछित सूचना नगर पालिका देवगढ से संबंधित होने से अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना हेतु स्पष्ट व विशिष्टयां सहित नियमानुसार आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त करें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)